

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-राजहैल्थ/टी.सी./2025/५४

दिनांक:- 28/01/25

समस्त संयुक्त निदेशक-जोन,
समस्त सीएमएचओ/पीएमओ,
राजस्थान।

विषय:- कार्मिकों के बकाया वेतन आहरण के संबंध में।

संदर्भ:- निदेशालय के पत्र क्रमांक 337 दिनांक 12.09.2023 एवं 350 दिनांक 25.07.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है निदेशालय के संदर्भित पत्रों में प्रदत्त निर्देशों के अध्यक्षीन प्रभावित कार्मिकों के बकाया व निरन्तर वेतन दिनांक 31.12.2024 तक समकक्ष/रिक्त पद से आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, में दिनांक 30.06.2025 तक अभिवृद्धि की जाकर समकक्ष/उच्च रिक्त पद से आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। पत्र में वर्णित शेष शर्तों की यथावत पालना सुनिश्चित की जाए।

(डॉ० रवि प्रकाश शर्मा)
निदेशक (जन स्वा०)

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)

क्रमांक:-राजहैल्थ/टी.सी./2025/५४

दिनांक:- 28/01/25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2/3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक(योजना), मुख्यालय को अनौपचारिक टिप्पणी क्रमांक 101 दिनांक 21.02.2024 एवं 154 दिनांक 20.05.2024 के क्रम में।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर